

डिक्री बमुकदम इजादाइ
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां सहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 152/2024

कासम अली पुत्र अल्लादिता जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील, संगरिया जिला
हनुमानगढ
कासम अली पुत्र अल्लादिता जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ
रियासत अली पुत्र अल्लादिता जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ

बनाम

वादीगण

1. अल्लादिता पुत्र बाकर खां जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ
2. नंजा बाई पत्नी अल्लादिता जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ
3. अलतुन पत्नी मुस्ताक अली पुत्री अल्लादिता जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ
4. नलकीस पत्नी समीन खां पुत्री अल्लादिता जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ
5. उषारानी पत्नी मौसमअली पुत्री अल्लादिता जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आजा मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी प्रकाश वादी भिन जामिन मुदई श्री कन्हैयालाल स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 नम जामिन मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है चक न 16 फतेहपुरी खाता सं. 136/35 में 0.127 है. वादी नं. 1 कासम अली व 0.126 है. वादी नं. 2 कासम अली व 0.126 है. वादी नं. 3 रियासत अली के व चक नं. 19 एफटीपी खाता सं. 136/9 में 0.911 है. वादी नं. 2 कासम अली व 1.214 है. वादी नं. 3 रियासत अली व 1.19 एफटीपी खाता सं. 55/35 में वादी सं. 1 कासम अली 1.088 है. व वादी नं. 2 कासम अली 0.177 है. व चक न 20 एफटीपी खाता सं. 147/137 में 0.064 है. वादी सं. 2 कासम अली व चक नं. 20 एफटीपी खाता सं. 13/7 में 0.569 है. वादी सं. 2 कासम अली व चक 20 एफटीपी खाता सं. 102/31 में 0.506 है. वादी सं. 1 कासम अली व चक 20 एफटीपी खाता सं. 100/30 में 0.3036 है. वादी नं. 2 कासम अली व चक 20 एफटीपी खाता सं. 100/30 में

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया



0.202 है वादी सा 2 हाराम अली व चक न 20 एकड़पी खाता स 76/57 व 0
 253 है वादी सा 1 काराम अली व चक 20 एकड़पी खाता स 101/33 मे वादी न 2
 हाराम अली 0.3034 है व वादी सा 3 रियासत अली 0.152 है व चक न 20 एकड़पी
 खाता स 93/73 मे 0.759 है 0 वादी न 1 काराम अली व 0.506 है वादी सा 3 रियासत
 अली व चक न 32 एनजीसी खाता 64/10 मे 0.253 है वादी सा 3 रियासत अली व
 न 32 एनजीसी खाता स 48/55 मे 0.506 है वादी सा 3 रियासत अली व
 न खातेदार काराम अली व चक न 16 एकड़पी खाता स 136/35 व चक न
 एकड़पी खाता 60/9 व चक 19 एकड़पी खाता स 55/35 व चक 20 एकड़पी
 खाता स 147/137 व खाता 13/7 खाता 102/31 व खाता 100/30 व खाता स
 70/57 व खाता स 101/33 व चक न 32 एनजीसी खाता स 64/10 व खाता स
 48/55 मे वादी न 1 का नाम कलमजन किया जावे व चक न 20 एकड़पी खाता स
 93/73 मे प्रतिवादिया सा 2 का नाम कलमजन किए जाने का आदेश दिया

नोट यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण वृद्धता का प्रमाण पत्र
 पेश होने पर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक गिल वावत निल खर्च
 मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक
 अदा करें।

बसबत मेरे दरतख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.05.2017 को
 जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी गिरिया
 संगरिया

